संख्याः 308/XX-8/17-4(59)2007

प्रेषक

पूरन सिंह रावत
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन

सेवा में

पुलिस महानिदेशक
पुलिस मुख्यालय,
देहरादून

गृह अनुभाग–8 देहरादूनः दिनांकः– 22 मार्च, 2017

विषयः–जनपद पौड़ी में श्रेणी द्वितीय के 24 एवं श्रेणी तृतीय के 8 आवासीय भवनों के अवशेष निर्माण कार्य हेतु पुनरीक्षित आगणन की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक, शासन के पत्र संख्या 1000/XX(8)2016–4(59)2007 दिनांक 20.09.2016 के क्रम में प्रेषित अपने पत्र संख्याः डीजी–दो–146(4)/2006 दिनांक 18 नवम्बर 2016 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जिसके द्वारा शासनादेश संख्याः 255/XX(1)/38–निर्माण/आयोजनागत/2007–08 दिनांक 04.01.2008 द्वारा वित्तीय वर्ष 2007–08 में जनपद पौड़ी में श्रेणी द्वितीय के 24 एवं श्रेणी तृतीय के 8 आवासीय भवनों का निर्माण कार्यों को पूर्ण किये जाने हेतु पूर्व में स्वीकृत धनराशि रूपये 189.73 लाख के सापेक्ष अवशेष कार्यों को पूर्ण कराये जाने हेतु रूपये 338.27 लाख का पुनरीक्षित आगणन विभागीय टी.ए.सी. के उपरान्त उपलब्ध कराया गया है। इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद पौड़ी में श्रेणी द्वितीय के 24 एवं श्रेणी तृतीय के 8 आवासीय भवन का निर्माण कार्य पूर्ण कराये जाने हेतु कार्यदायी संस्था उत्तराखण्ड प्रदेश ग्रामीण निर्माण विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये अवशेष कार्यों हेतु गठित आगणन रूपये 338.27 लाख के पुनरीक्षित आगणन की धनराशि पर वित्तीय एवं प्रशासनिक अनुमति प्रदान की जाती है तथा उक्त निर्माण कार्य हेतु पूर्व अवमुक्त धनराशि रूपये 75.89 लाख के अतिरिक्त वर्तमान में अवशेष निर्माण कार्य को पूर्ण कराये जाने के लिए चालू वित्तीय वर्ष 2016–17 के बजट में उपलब्ध धनराशि के सापेक्ष रूपये 200.00 लाख **(रूपये दो करोड़ मात्र)** की धनराशि आपके निवर्तन पर रखते हुये व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2– वित्त विभाग के शासनादेश संख्याः 284/XXVII(1)/2013 दिनांक 30 मार्च, 2013 में वर्णित व्यवस्था/निर्देशों का कड़ायी से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय, ताकि लागत एवं समयवृद्धि(Cost and time over run) से बचा जा सके। यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय

क्रमशः 2.....

कि कार्यदायी संस्था के साथ वित्त विभाग द्वारा निर्धारित प्रारूप पर M.O.U. हस्ताक्षर कर लिया गया हो।

3— एक मुश्त प्राविधानों को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर सक्षम अधिकारी से अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाय।

4— निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाय तथा उपयुक्त सामग्री ही प्रयोग में लायी जाय।

5— मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–2047/XIV–219(2006) दिनांक 30 मई 2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई से पालन करने का कष्ट करें।

6— आगणन में प्राविधानित डिजायन एवं मात्राओं हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियंता एवं अधीक्षण अभियंता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

7— निर्माण कार्य तथा इस हेतु सामग्री क्रय में Uttarakhand Procurement Rules, 2008 के सुसंगत प्राविधानों का अनुपालन किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

8— निर्माण कार्य के प्रगति की निरन्तर समीक्षा करते हुये कार्य में शीघ्रता लायी जाय तथा विलम्ब के कारण किसी भी दशा में आगणन पुनरीक्षित नही किया जायेगा।

9— स्वीकृत धनराशि का व्यय मितव्ययता को दृष्टिगत् रखते हुये किया जाय तथा व्यय उन्हीं मदों में किया जाय जिस मद के लिये स्वीकृति प्रदान की गयी है।

10— निर्माण कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता के लिये सम्बन्धित निर्माण संस्था उत्तरदायी होगी। कार्य कराते समय वित्तीय हस्तपुस्तिका, बजट मैनुअल एवं तद्विषयक समय–समय पर निर्गत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

11— इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2016–17 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–10, **आयोजनागत पक्ष** के अन्तर्गत मुख्य लेखाशीर्षक 4055–पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय, 211–पुलिस आवास, 03–पुलिस विभाग के आवासीय/अनावासीय भवनों के निर्माण हेतु व्यवस्था(चालू कार्य) के मानक मद 24–वृहद् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

12— यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्याः— 252 /P/XXVII(5)/2016 दिनांक 06 जनवरी 2017 में प्राप्त उनकी सहमति तथा अलॉटमेंट आई.डी. संख्याः S1703100350 दिनांक 22 मार्च, 2017 द्वारा जारी किये जा रहें है।

भवदीय

(पूरन सिंह रावत)
अपर सचिव

क्रमशः 3....

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं तद्नुसार अग्रेत्तर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार, उत्तराखण्ड, ओबराय मोटर्स बिल्डिंग माजरा, देहरादून।

2– जिलाधिकारी, पौडी उत्तराखण्ड।

3– निदेशक, कोषागार, 25 लक्ष्मी रोड़, देहरादून।

4– वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून/पौडी, उत्तराखण्ड।

5– बजट अधिकारी, बजट निदेशालय, सचिवालय परिसर, देहरादून, उत्तराखण्ड।

6– निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र(एन.आई.सी.) सचिवालय परिसर, देहरादून।

7– अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड पौडी उत्तराखण्ड।

8– वित्त(व्यय नियंक) अनुभाग–5 उत्तराखण्ड शासन।

9– नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।

10– गार्ड फाईल।

आज्ञा से

(रणजीत सिंह)
उप सचिव